

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :—

क्रमांक/59/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम, रायपुर अंतर्गत बी.एस.यू.पी. कालोनी, वृंदावन सड्डू (थाना पंडरी) 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 366/ अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 21.05.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	बी.एस.यू.पी. कालोनी-साजन दास खेमका, वृंदावन
2.	कालोनी एरिया, कैपिटल होम्स 01 एवं 02
3.	कैपिटल सिटी फेस 01, राजवाड़ा सिटी
4.	सेक्टर 08 का पूरा कॉलोनी एरिया
5.	दक्षिण में - विज्ञान केन्द्र के पास नाला,
6.	पूर्व में - कैपिटल सिटी फेस 01,
7.	उत्तर में - राजवाड़ा सिटी गेट,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13216 दिनांक 23.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 21.05.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोरोना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

Haudau

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक/59/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. थाना प्रभारी, थाना पंडरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Haudau

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :—

क्रमांक / 61 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर के अंतर्गत वीर सावरकर नगर, हीरापुर (थाना कबीर नगर) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 468 / अजिद / एस.डब्ल्यू / 20 दिनांक 07.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पूर्व में	मां दुर्गा प्रोविजन स्टोर से शास. हाई स्कूल हीरापुर
2.	उत्तर में	मां दुर्गा प्रोविजन स्टोर से बाजार चौक हीरापुर तक
3.	दक्षिण में	मां दुर्गा प्रोविजन स्टोर से नवयुग पब्लिक मोड़ तक बंगाली होटल की ओर
4.	पश्चिम में	मां दुर्गा प्रोविजन स्टोर से गली रास्ता के आखिरी छोर तक

जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम, जोन क्रमांक 08, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 241 / न.पा.नि. / जोन-08 / 2020 दिनांक 24.06.2020 अनुसार उपरोक्त क्षेत्र में 07.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोराना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई. सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

Haudaw

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक / 61 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. थाना प्रभारी, थाना कबीर नगर, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Haudaw

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :—

क्रमांक / 56 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

रायपुर, दिनांक 29/06 / 2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम, रायपुर अंतर्गत थाना देवेन्द्र नगर क्षेत्र के भाटापारा फाफाडीह काली मंदिर के पास 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 376 / अजिद / एस.डब्ल्यू / 20 दिनांक 25.05.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :—

1.	पूर्व में	नई दुनिया प्रेस के सामने
2.	पश्चिम में	भवानी डाइग्नोस्टिक के सामने एवं फाफाडीह एक्सप्रेस-वे से भाटापारा के लिए एंट्री प्वाइंट
3.	उत्तर में	एक्सप्रेस वे
4.	दक्षिण में	सुप्रिता नर्सिंग होम के पास

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ / 2020 / 13217 दिनांक 28.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 25.05.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोराना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

(Signature)

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक / 56 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020
प्रतिलिपि :—

रायपुर, दिनांक 29/06 / 2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. थाना प्रभारी, थाना देवेन्द्र नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(Signature)

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :-

क्रमांक/60 /अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

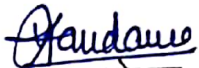
रायपुर, दिनांक 29/06/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर के अंतर्गत काशीराम नगर (थाना तेलीबांधा) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 531/अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 16.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पूर्व में	बंद है।
2.	पश्चिम में	क्षमा साहू का मकान
3.	उत्तर में	श्री रितेश वर्मा का मकान
4.	दक्षिण में	श्री जितेन्द्र बारले का मकान

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13608 दिनांक 29.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 16.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोराना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

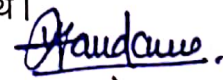

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक/ 60 /अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. थाना प्रभारी, थाना तेलीबांधा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


अपर कलेक्टर
एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :—

क्रमांक/57/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

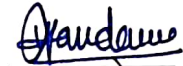
रायपुर, दिनांक 29/06/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम, रायपुर अंतर्गत आयोध्या नगर, चंगोराभाटा (थाना डी.डी. नगर) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 498/अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 11.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	उत्तर-पूर्व में	रोड जंक्शन
2.	दक्षिण-पश्चिम में	सांस्कृतिक भवन के बाजु गली (प्रवेश द्वार)
3.	दक्षिण-पूर्व में	तिराहा रास्ता

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13346 दिनांक 25.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 11.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोराना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)



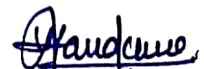
अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक/57/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. थाना प्रभारी, थाना डी.डी. नगर, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :—

क्रमांक/58/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम, रायपुर अंतर्गत आई.टी.बी.पी. कैम्प, आमासिवनी (थाना विधानसभा) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 500/अजिद/ एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 11.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :—

1.	पूर्व में	आई.टी.बी.पी. कैम्प, आमासिवनी का बाउण्ड्रीवाल
2.	पश्चिम में	आई.टी.बी.पी. कैम्प, आमासिवनी का बाउण्ड्रीवाल
3.	उत्तर में	आई.टी.बी.पी. कैम्प, आमासिवनी का बाउण्ड्रीवाल
4.	दक्षिण में	आई.टी.बी.पी. कैम्प, आमासिवनी का बाउण्ड्रीवाल

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13345 दिनांक 25.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 11.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोराना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

Haudanw.

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,

रायपुर

पृ. क्रमांक/58/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

प्रतिलिपि :—

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. थाना प्रभारी, थाना विधानसभा, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Haudanw.

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,

रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :-

क्रमांक / 62/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम, रायपुर अंतर्गत साहू बाड़ा, अश्वनी नगर, (थाना पुरानी बस्ती) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 513/अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 14.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पूर्व में	श्री रमनलाल भाई का मकान तक
2.	पश्चिम में	रमा गोस्वामी की मकान तक
3.	उत्तर में	उत्तम देवांगन किराना स्टोर्स तक
4.	दक्षिण में	श्रीमती विमला बाई की मकान तक

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13545 दिनांक 26.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 14.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोरोना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

Haudaw
अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक / 62/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. थाना प्रभारी, थाना पुरानी बस्ती, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Haudaw
अपर कलेक्टर
एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :-

क्रमांक/64/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम, रायपुर अंतर्गत दुलारी नगर, विपिन बिहारी सूर वार्ड (थाना कोतवाली) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 511/अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 14.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पूर्व में	मारवाड़ी शमशान गेट
2.	पश्चिम में	श्रीमती सुस्मा काले का मकान
3.	उत्तर में	शांति कुंज स्कूल
4.	दक्षिण में	श्री पी के दुबे का मकान

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13547 दिनांक 26.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 14.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोरोना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

Haudaw

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,

रायपुर

पृ. क्रमांक/ 64 /अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. थाना प्रभारी, थाना कोतवाली, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Haudaw

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,

रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :—

क्रमांक / 63 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम, रायपुर अंतर्गत आमापारा (थाना आजाद चौक) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 510/अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 14.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पूर्व में	बंद है
2.	पश्चिम में	श्री आर पाण्डे का मकान
3.	उत्तर में	आमापारा चौक
4.	दक्षिण में	युवती ब्यूटी पार्लर

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ / 2020 / 13548 दिनांक 26.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 14.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोराना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

Haudaw
अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक / 63 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. थाना प्रभारी, थाना आजाद चौक, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Haudaw
अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :—

क्रमांक/65/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम, रायपुर अंतर्गत विनायक गार्डन, शिवानंद नगर (थाना खमतलाई) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 512/अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 14.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पूर्व में	श्री रंजन पटेल का मकान
2.	पश्चिम में	श्री एम. लक्ष्मी का मकान
3.	उत्तर में	श्री कृणाल बघेल का मकान
4.	दक्षिण में	श्री जी. गणेश/श्री तुषार कांति का मकान

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13546 दिनांक 26.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 14.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोराना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

Haudaw

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,

रायपुर

पृ. क्रमांक/65/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. थाना प्रभारी, थाना खमतलाई, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Haudaw

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,

रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :-

क्रमांक / 68 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम, रायपुर अंतर्गत कबीर नगर फेस 2 (थाना कबीर नगर) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 447/अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 05.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पश्चिम में	सामुदायिक भवन से भूमिया तालाब की ओर सड़क
2.	पूर्व में	सामुदायिक भवन कबीर नगर से विध्य पब्लिक स्कूल बड़ा गार्डन तक
3.	उत्तर में	उड़ान बड़ा गार्डन चौक से लालमती हास्पिटल की ओर सड़क तक
4.	दक्षिण में	सामुदायिक भवन कबीर नगर से सिद्धि विनायक चौक तक

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13209 दिनांक 23.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 05.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोराना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

Haudaw
अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक / 68 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. थाना प्रभारी, थाना कबीर नगर, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Haudaw
अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :—

कमांक / 72/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम, रायपुर अंतर्गत हर्षित विहार, फेस 03, कबीर नगर, (थाना कबीर नगर) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 520/अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 15.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पश्चिम में	गोस्वामी विला(हर्षित विहार) से निर्माणाधीन नया नहर रोड तक।
2.	पूर्व में	गोस्वामी विला(हर्षित विहार) से बिट्टू शर्मा के पुराना फैक्ट्री परिसर
3.	उत्तर में	गोस्वामी विला(हर्षित विहार) से चित्रकोट परिसर(हाउसिंग बोर्ड) सामने रोड।
4.	दक्षिण में	गोस्वामी विला(हर्षित विहार) से सरोना-उरकुरा बाईपास रेल्वे ट्रेक के

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13613 दिनांक 29.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 15.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोराना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

Haudaw

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पू. कमांक / 72/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. थाना प्रभारी, थाना कबीर नगर, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Haudaw

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :—

क्रमांक/71/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम, रायपुर अंतर्गत अरविंद नगर, बैरनबाजार (थाना कोतवाली) में 03 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 519/अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 15.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पश्चिम में	श्री अश्वनी दुबे का मकान
2.	उत्तर में	श्री भगवान नायक का मकान
3.	पूर्व में	श्री सीरा नायक का मकान
4.	दक्षिण में	श्री बीरो छुरा का मकान

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13612 दिनांक 29.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 15.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोराना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

Haudaw

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक/71/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. थाना प्रभारी, थाना कोतवाली, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Haudaw

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :—

क्रमांक / 70 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम, रायपुर अंतर्गत सेक्टर 05, देवेन्द्र नगर (थाना देवेन्द्र नगर) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 514 / अजिद / एस.डब्ल्यू / 20 दिनांक 14.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पूर्व में	जलाराम किराना स्टोर्स मयंक डाय. के पास
2.	पश्चिम में	निर्माणाधीन मकान, श्री मोहन आहूजा के मकान के पास
3.	उत्तर में	1. ओम आटो रियल के पास 2. श्री विपिन चन्द्र कोठारी के मकान के पास 3. सिमरन निवास के पास
4.	दक्षिण में	बंद है

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ / 2020 / 13611 दिनांक 29.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 15.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोराना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

Audaw

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,

रायपुर

पृ. क्रमांक / 70 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. थाना प्रभारी, थाना देवेन्द्र नगर, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Audaw

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,

रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :-

क्रमांक / 69 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम, रायपुर अंतर्गत डागा बिल्डिंग, रायगढ़ बाड़ा (थाना सिविल लाईन) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 533 / अजिद / एस.डब्ल्यू / 20 दिनांक 16.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पूर्व में	श्री जयेश मिरानी का मकान, श्री सुभाष बरलोटा का मकान
2.	दक्षिण में	श्री राजकमल सिंघानिया का मकान, श्री ललित जैसिंध का मकान
3.	उत्तर में	बंद है।
4.	पश्चिम में	बंद है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ / 2020 / 13610 दिनांक 29.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 15.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोरोना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

Gandau
अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक / 69 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. थाना प्रभारी, थाना सिविल लाईन, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Gandau
अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :—

क्रमांक / ९१ / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

रायपुर, दिनांक २९/०६/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम, रायपुर अंतर्गत गुरुद्वारा के पीछे, टाटीबंध (थाना आमनाका) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 493/अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 10.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :—

1.	पश्चिम में	बंद है।
2.	उत्तर में	श्री अरुण कुमार चौधरी के मकान तक
3.	पूर्व में	श्री नीलाराम महानंद के मकान तक
4.	दक्षिण में	बंद है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13288 दिनांक 23.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 10.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोराना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

Haudaw
अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक / ९१ / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020
प्रतिलिपि :—

रायपुर, दिनांक २९/०६/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. थाना प्रभारी, थाना आमनाका, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Haudaw
अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :-

क्रमांक / ९० / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में विकासखण्ड तिल्दा अंतर्गत ग्राम किरना (थाना नेवरा) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 489/अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 10.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पूर्व में	साहू किराना दुकान
2.	पश्चिम में	श्री लीलाधर का मकान
3.	उत्तर में	प्राथमिक शाख सहकारी समिति किरना
4.	दक्षिण में	नहर नाली

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13289 दिनांक 23.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 10.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोरोना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

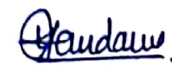

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक / ९० / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. थाना प्रभारी, थाना तिल्दा नेवरा, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :-

क्रमांक / 79 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

रायपुर, दिनांक 29 / 06 / 2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम, रायपुर अंतर्गत टाटीबंध (थाना आमनाका) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 492 / अजिद / एस.डब्ल्यू / 20 दिनांक 10.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	उत्तर-पश्चिम में	शासकीय माध्यमिक स्कूल टाटीबंध एवं आर.के. प्रोविजन
2.	उत्तर में	श्री हरभजन सिंह का मकान के बगल से गली
3.	पूर्व में	श्री मोहन सिंह एवं रंजीत सिंह का मकान के पास
4.	दक्षिण में	आर.के.प्रोविजन स्टोर का मकान

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ / 2020 / 13276 दिनांक 23.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 10.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोराना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

Audaw
अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक / 79 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक-29/06/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. थाना प्रभारी, थाना आमनाका, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Audaw
अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :-

क्रमांक/78 /अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

रायपुर, दिनांक 24/06/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में विकासखण्ड तिल्दा अंतर्गत ग्राम तुलसी (थाना नेवरा) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 488/अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 10.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पूर्व में	तिल्दा खरोरा मुख्य मार्ग
2.	पश्चिम में	आवासीय कालोनी
3.	उत्तर में	महेश अग्रवाल कालोनी
4.	दक्षिण में	राइस मिल

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13290 दिनांक 23.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 10.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोरोना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

Gaudaw.

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक/ 78 /अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 24/06/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. थाना प्रभारी, थाना तिल्दा नेवरा, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Gaudaw.

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :—

क्रमांक / ४२/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिका परिषद तिल्दानेवरा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 17, तिल्दा (थाना नेवरा) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 487/अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 10.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पूर्व में	कॉनक्रीट रोड
2.	पश्चिम में	कन्हैया दुबे का घर बाड़ी
3.	उत्तर में	देवांगन प्रिंटिंग प्रेस
4.	दक्षिण में	रूपरस यादव का मकान

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13291 दिनांक 23.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 10.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोराना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

Kandau

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक / ४२/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. थाना प्रभारी, थाना तिल्दा नेवरा, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Kandau

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :—

क्रमांक / ४३ / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

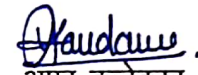
रायपुर, दिनांक २९ / ०६ / 2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम, रायपुर अंतर्गत कबीर नगर फेस 02 (थाना कबीर नगर) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 483/अजिद/ एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 08.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पूर्व में	LIG - 25 PHASE -02 से LIG - 38 तक
2.	पश्चिम में	LIG - 25 PHASE -02 से MIG DELUXE 80 तक
3.	उत्तर में	LIG - 25 PHASE -02 से MIG DELUXE 89 साई ब्यूटी पार्लर तक
4.	दक्षिण में	LIG - 25 PHASE -02 से LIG - 30 तक

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13208 दिनांक 23.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 08.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोराना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

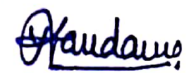

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक / ४३ / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक २९ / ०६ / 2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. थाना प्रभारी, थाना कबीर नगर, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



अपर कलेक्टर
एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :-

क्रमांक/84/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

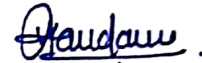
रायपुर, दिनांक 29/06/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम, बीरगांव अंतर्गत रावाभाटा क्षेत्र (थाना उरला) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 405/अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 29.05.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पूर्व में	शिवमंदिर के पास नाला
2.	पश्चिम में	श्री श्यामलाल दीप का मकान
3.	उत्तर में	श्री राम विलाश साहू के मकान के पास
4.	उत्तर पश्चिम में	श्री सुरेश साहू का मकान
5.	दक्षिण में	रास्ता बंद है आने जाने का रास्ता नहीं है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13293 दिनांक 23.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 29/06/2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोराना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)



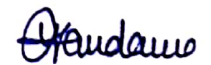
अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक/ 84/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. थाना प्रभारी, थाना उरला, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :-

क्रमांक/१५/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

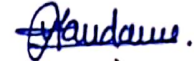
रायपुर, दिनांक 29/06/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम, बीरगांव अंतर्गत रावांमाटा (थाना खमतलाई) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 424/अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 01.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पश्चिम में	मेटल पार्क रोड, कच्ची सड़क
2.	पूर्व में	बाधा तालाब रोड
3.	उत्तर में	सेंदरी तालाब, मदरसा रोड
4.	दक्षिण में	शुक्रवारी बाजार तालाब

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13292 दिनांक 23.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 01.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोराना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)



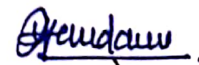
अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक/ १५/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. थाना प्रभारी, थाना खमतलाई, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :-

क्रमांक / 67 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम, रायपुर अंतर्गत खपराभट्टी क्षेत्र (थाना पंडरी) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 448/अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 05.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पश्चिम में	श्री बाबी मसीह के घर के सामने, शंकर नगर रोड
2.	पूर्व में	बंद है
3.	उत्तर में	देवार डेरा के सामने खपरा भट्टी
4.	दक्षिण में	मित्तल अस्पताल के सामने खपरा भट्टी

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13212 दिनांक 23.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 05.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोराना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

Haudaw

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,

रायपुर

पृ. क्रमांक / 67 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. थाना प्रभारी, थाना पंडरी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Haudaw

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,

रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :—

क्रमांक / 66 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में ग्राम पंचायत, धरसीवा, रायपुर अन्तर्गत ग्राम- धरसीवा (थाना धरसीवा) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 449/अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 05.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पश्चिम में	संदीप दुकान के पास
2.	पूर्व में	श्री राकेश यादव के घर के पास
3.	उत्तर में	पानी टंकी के पास
4.	दक्षिण में	श्री अब्दुल हमीद के घर के पास

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13211 दिनांक 23.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 05.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोरोना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

Haudaw
अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक / 66 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. थाना प्रभारी, थाना धरसीवा, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Haudaw
अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :—

क्रमांक/७७/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

रायपुर, दिनांक २९/०६/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम, रायपुर अंतर्गत महादेवघाट रोड, शीतला पारा, रायपुरा (थाना डीडी नगर) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 532/अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 16.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	उत्तर में	श्री राजेन्द्र औशर का मकान
2.	दक्षिण में	श्री अरविंद ठाकुर का मकान, छन्नू पान
3.	पूर्व में	बंद है
4.	पश्चिम में	बंद है

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13609 दिनांक 29.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 15.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोरोना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

Haudaw

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,

रायपुर

पृ. क्रमांक/ ७७/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

रायपुर, दिनांक २९/०६/2020

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. थाना प्रभारी, थाना डी. डी. नगर, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Haudaw

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,

रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :—

क्रमांक / 76 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम, रायपुर अंतर्गत पुलिस लाईन, कालीबाड़ी (थाना कोतवाली) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 530 / अजिद / एस.डब्ल्यू / 20 दिनांक 16.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पश्चिम में	नया ब्लॉक मकान
2.	उत्तर में	जिला अस्पताल का रास्ता
3.	पूर्व में	श्री दिलीप भगत का मकान
4.	दक्षिण में	श्री संतु राम ध्रुव का मकान

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ / 2020 / 13607 दिनांक 29.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 15.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोराना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

Haudanur

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,

रायपुर

पृ. क्रमांक / 76 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायपुर / अभनपुर / आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. थाना प्रभारी, थाना कोतवाली, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Haudanur

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,

रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :-

क्रमांक / 75 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में ग्राम पंचायत परिषद खरोरा अंतर्गत ग्राम छड़िया (थाना-खरोरा) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 524/अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 15.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	उत्तर में	श्री लक्ष्मीनारायण कोसले का मकान
2.	दक्षिण में	सतनाम चौक
3.	पूर्व में	चुहिया तालाब एवं खुला परिसर
4.	पश्चिम में	श्री लखन वर्मा का मकान

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13619 दिनांक 29.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 15.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोरोना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

Haudaw

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,

रायपुर

पृ. क्रमांक / 75 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. थाना प्रभारी, थाना खरोरा, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Haudaw

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,

रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :—

क्रमांक / 74/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम, रायपुर अंतर्गत झंडा चौक, संजय नगर (थाना टिकरापारा) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 523/अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 15.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पूर्व में	थाना टिकरापारा मेन रोड
2.	पश्चिम में	गली नंबर 02, झंडा चौक, संजय नगर
3.	उत्तर में	झंडा चौक, संजय नगर
4.	दक्षिण में	राधाकृष्ण मंदिर, संजय नगर

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13615 दिनांक 29.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 15.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोरोना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

Haudaw.

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक / 74/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 29/06/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. थाना प्रभारी, थाना टिकरापारा, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Haudaw.

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :-

क्रमांक / 73 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

रायपुर, दिनांक 29/6/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम, रायपुर अंतर्गत गुरुद्वारा के पीछे, टाटीबंध (थाना आमनाका) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 522/अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 15.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पश्चिम में	श्री सानिदय बलइय्या का मकान
2.	उत्तर में	श्री के.आर.प्रसाद का मकान
3.	पूर्व में	श्री कृष्ण (एम.आई.जी. 02) का मकान
4.	दक्षिण-पश्चिम	श्री जितेन्द्र पाल का मकान

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13614 दिनांक 29.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 15.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोराना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

Haudaw.

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक / 73 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 29/6/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. थाना प्रभारी, थाना आमनाका, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Haudaw.

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर